उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग--9
संख्या-550/नौ--9-2017-163ज/2010
लखनऊ : दिनांक: 16 जून 2017

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-11 सन 2011)की धारा-4 (1) के अधीन अधिसूचना संख्या-- 649/9--नौ/2011-163ज/2010 दिनांक-30 मार्च 2011 द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में रिक्त 01 सदस्य पद के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार "सदस्य ऐसे व्यक्ति होगें, जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहरी सम्पत्तियों का मूल्यांकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षो का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पर अवश्य धारित किया गया हो।"

अधिनियम की धारा-5 (5) के अनुसार अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के सदस्य 05 वर्ष की अवधि के लिये पद धारित करेगें परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, सदस्य कोई पद धारित नहीं करेगें। वेतन, भत्तें एवं सेवा की अन्य शर्तो मे उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। बोर्ड का सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा।

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2017 की सायः 06:00 बजे तक है। आवेदन पंजीकृत डाक से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के नाम से या नगर विकास विभाग को ई-मेल (cc.urbandev@gmail.com) पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जायेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव

UO-V

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के सदस्य पद के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने हेतु उक्त विज्ञप्ति को राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुये विज्ञापन की पेपर कंटिग नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. कम्प्यूटर सेल, नगर विकासविभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव

UO-V